

30/05/24

पत्रावली पेश हुई। बाकी बकील अनु०।
न्यायालय समय में बाकी बकील को रूक-रूक
कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन उप० नहीं
आया। अतः बाकी का बाह्र अक्षर पेशी अक्षर
द्वारा में खारीज किया जाता है। पत्रावली
कैसन शुमार होकर दायित्व दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

